न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 46/2020

1 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 प्रभाती पत्नी लिछमण जाति मीणा निवासिनी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 सुरजमल मृत
1/1 प्रकाश पुत्र सुरजमल
1/2 गिरधारी पुत्र सुरजमल
1/3 लीलू पुत्री सुरजमल
1/4 दिपु पुत्री सुरजमल
1/5 मंजू पुत्री सुरजमल
1/6 पिंकी पुत्री सुरजमल
समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 गोपाल लाल पुत्र केशरमल
3 सुनिता पत्नी बजरंगलाल
4 राकेश
5 दिनेश
6 मनीष पुत्रगण बजरंगलाल
7 प्रभुदयाल शर्मा पुत्र केशरमल
8 ज्ञानचंद उर्फ मुन्ना पुत्र महादेव शर्मा
9 किस्तूरी पत्नी महादेव शर्मा
समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
10 महावीर प्रसाद पुत्र चम्पालाल जाति महाजन निवासी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

11 दाखा देवी पत्नी नेमाराम
12 पेमा देवी पत्नी चन्द्राराम
13 रामेश्वरी देवी पत्नी दौलाराम
14 भंवरी पत्नी पदमाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
15 शिशपाल पुत्र सुखदेवा जाति मीणा निवासी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
16 भंवरी देवी पुत्री भागीरथ पत्नी हरफूल जाति मीणा निवासी ग्राम गनोडा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
17 महेश
18 बलराम पुत्रगण भागीरथ
19 बजरंगलाल
20 अर्जुनलाल
21 मांगीलाल पुत्रगण लिछमण
22 परमेश्वरी देवी पत्नी मोहनलाल
23 कैलाशचन्द
24 हरिप्रसाद पुत्रगण मोहनलाल
25 संजया पुत्री मोहनलाल
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
26 राजू देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी कैलाशचन्द जाति मीणा निवासिनी अनोपपुरा तहसील चौमू जिला सीकर।
27 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा कोछोर जरिये शाखा प्रबंधक।
28 लक्ष्मण शर्मा पुत्र केशरमल शर्मा जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सकर।
29 राजकुमार शर्मा पुत्र केशरमल शर्मा जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
30 उप पंजीयक दांतारामगढ़ जिला सीकर।
31 पटवारी पटवार हल्का दूधवा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
32 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ जिला सीकर वइजलास श्री अशोक कुमार आरएएस प्रकरण संख्या 122/2013 दावा उनवानी सुरजमल आदि बनाम महावीर प्रसाद आदि दिनांकित 02.03.2020

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री निरंजन शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनूपस्थित)
3. श्री प्रेमचंद जांगीड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनूपस्थित)

–निर्णय–

दिनांकः– 27/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 122/2013 में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 101, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 106, 107 वाके ग्राम दूधवा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि स्वीकृत रूप से अपीलाधीन वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ता 14 की ओर से काउंटर वाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचारण न्यायालय

द्वारा कोई निर्णय पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर जो तनकीयात कायम की गयी है वे अभिवचनों के अनुरूप नहीं है। अपीलान्टस की ओर से इस निमित आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से आपत्ति को खाजिर करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई होने के कारण भी स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तक निर्णय में नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में जो यह आदेश पारित किया गया है कि पुराने खसरा नम्बर 43 रकबा 13.38 है. जिसके नये खसरा नम्बर 101, 104, 105, 108 ता 114 कुल किता 10 कुल रकबा 13.38 है. का पुराना नम्बर सर्वेशीट के अनुसार नपती कर विवादित भूमियों की दक्षिणी पूर्वी सीमा पुराने नक्शा सर्वेशीट के अनुसार नये नक्शा सर्वेशीट में दुरूस्त करने के आदश दिये जाते है तथा साथ ही दुरूस्ती के पश्चात मौके व रिकार्ड के अनुसार प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाते है, कतई विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा तथाकथित दुरूस्ती निमित तहसीलदार दांतारामगढ़ को जो कि इस निमित सक्षम प्राधिकारी नहीं है को अवैध रूप से अधिकृत कर दिया गया है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अवैध रूप से प्रदर्श–14 तहसीलदार रिपोर्ट जो कि एकपक्षीय है तथा अपीलाधीन वाद में नहीं मंगवायी गई है को गलत रूप से आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय में तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पक्ष में पारित किये जाने में गंभीर त्रुटि कारित की गई है। वादीगण का भूमियों खसरा नम्बर 106 व 107 पर कब्जा मान्य नहीं किये जाने के बावजूद उक्त तनकी का निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के पक्ष में किये जाने में गंभीर त्रुटि की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के स्वयं के अभिवचनों एवं दस्तावेज प्रदर्श संख्या 12 से यह प्रमाणित है कि भूमियों खसरा नम्बर 106 व 107 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 का कोई कब्जा नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 का विवादित भूमियों पर कोई कब्जा नहीं है तथा विवादित भूमियों के बाबत निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रय पत्र आज दिन भी कायम है। विचारण न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित 02.03.2020 की अपील अवधि दिनांक 01.05.2020 को पूरी होती

है किन्तु वैश्विक महामारी कोविड–19 को प्रकोप राजस्थान व सम्पूर्ण भारत में फैलने से रोकने के लिए लॉक डाउन लागु कर दिया जिसके कारण अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अव लॉक डाउन खुलने के वाद तथा अधिवक्तागण द्वारा अदालती कार्यवाही में भाग लेना शुरू करने पर आज यथाशीघ्र अपील इस न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुती में हुआ विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील सावधि मान्य किया जाना उचित व आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद उद्घोषणा, वंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर नये 101, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 106, 107 वाके ग्राम दूधवा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी।

अपीलाधीन वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ता 14 की ओर से काउंटर वाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर जो तनकीयात कायम की गयी है वे अभिवचनों के अनुरूप नहीं है। अपीलान्टस की ओर से इस निमित आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से आपत्ति को खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तक निर्णय में नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में जो यह आदेश पारित किया गया है कि पुराने खसरा नम्बर 43 रकबा 13.38 है. जिसके नये खसरा नम्बर 101, 104, 105, 108

ता 114 कुल किता 10 कुल रकबा 13.38 है. का पुराना नम्बर सर्वेशीट के अनुसार नपती कर विवादित भूमियों की दक्षिणी पूर्वी सीमा पुराने नक्शा सर्वेशीट के अनुसार नये नक्शा सर्वेशीट में दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है तथा साथ ही दुरूस्ती के पश्चात मौके व रिकार्ड के अनुसार प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये है।

विचारण न्यायालय द्वारा तथाकथित दुरूस्ती निमित तहसीलदार दांतारामगढ़ को जो कि इस निमित सक्षम प्राधिकारी नहीं है को अवैध रूप से अधिकृत कर दिया गया है। विधि अनुसार पीठासीन अधिकारी को रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश स्पष्ट रूप से पारित कर प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिए थी। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य एवं मौका रिपोर्ट का स्पष्ट एवं विस्तृत विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय को विधि अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर वाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिये था। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली में प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर वाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर